न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल , ग्वालियर म0प्र0

257

कल्लो बाई पुत्री गोविन्दा रजक, निग-942-II-16

निवासी- ग्राम देरी, तहसील खरगापुर ,जिला-टीकमगढ़ म0प्र0

..... आवेदिका.

// विरूद्ध //

म0 प्र0 शासन .....अनावेदक.

निग0प्र0क्र0- ता0 प्रस्तुति- .03.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता. 1959

आवेदिका/निगरानीकर्ता यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन आदेश दिनांक- 10.6.2015 जिसके द्वारा विधिविरूद्ध किए गए सीमांकन को स्वीकार किया गया है, से परिवेदित होकर निम्न लिखित अनुसार माननीय के समक्ष पेश की है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता की धारा- 129 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मौके पर सीमांकन कार्यवाही की कोई भी सूचना आवेदिका एवं सरहदी कृषकों को नहीं दी गई । उक्त भूमि जिसका सीमांकन किया गया वह आवेदिका की भूमि से लगी हुई है । वादग्रस्त भूमि की चतुर्थ सीमायें आवेदिका की भूमि से लगी हैं ,जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है ।

2. यह कि, भू- राजस्व संहिता में सीमांकन के सम्बन्ध में जो नियम वर्णित हैं, उन नियमों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालन नहीं किया गया एवं नियम प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण सीमांकन किया गया है, जिसे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है , अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विवादित आदेश विधि

...2.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-942-दो/2016 जिला टीकमगढ़ कल्लो विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 16.01.19 सदस्य	